भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2493

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: नेफेड द्वारा सूखे नारियल की खरीद

2493. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हसन जिले में विशेषकर चन्नारायपटना, अरसीकेरे, होलेनारसीपुरा और अन्य तालुकों में सूखे नारियल उत्पादक किसान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा दी जा रही कम दरों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) नेफेड द्वारा वर्ष भर की बजाय सीमित अवधि के लिए कार्य करने के क्या कारण हैं जिससे सूखे नारियल के उत्पादकों को कठिनाई हो रही है;

(ग) इन कम कीमतों और सीमित खरीद दिवसों से नारियल उत्पादों की कितनी मात्रा प्रभावित हुई है;

(घ) सरकार द्वारा हसन जिले में सूखे नारियल उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार सुखे नारियल उत्पादकों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करने हेतु नेफेड को वर्ष भर अर्थात् 365 दिन प्रचालन करने का निदेश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार सूखे नारियल के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का कोई आश्वासन देगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत वर्तमान खरीद तंत्र के अधीन, नैफेड एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन उत्पादों के बाजार मूल्य कटाई अवधि के दौरान एमएसपी से नीचे जाने पर, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से पूर्व-पंजीकृत किसानों

से राज्य द्वारा नामोदिष्ट खरीद एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद करता है।

पीएसएस के तहत खरीदे गए स्टॉक का निपटान खुले बाजार में किया जाता है। पुनर्चक्रण से बचने के लिए, योजना के तहत खरीद और निपटान एक साथ संचालित नहीं की जाती है, इसलिए केंद्रीय नोडल एजेंसियां पीएसएस खरीद संचालन के दौरान खरीदे गए स्टॉक का निपटान नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, खरीदे गए स्टॉक का निपटान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है ताकि बाद की फसल के लिए बाजार मूल्य की प्रवृत्ति पर असर न पड़े और अगले सीजन की फसलों के लिए स्टोरेज करने के लिए जगह मिल सके।

पीएसएस के तहत तिलहन और दलहनों की सामान्य खरीद अवधि 90 दिन है, तथापि, खोपरे की बारहमासी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पीएसएस के तहत खोपरे की खरीद अवधि उसके पीक अराईवल पीरियड से छह महीने निर्धारित की गई है, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी अधिसूचना पर आधारित है।

*****